अपील सूचना अधिकार संख्या 03/2021 (GCMS 2021/03) श्वेता राठौड, एडवोकेट उच्च न्यायालय जोधपुर हाल ग्राम व पौष्ठ लादड़िया, तहसील व जिला चुरू (राज.) बनाम तहसीलदार (राजस्व), घड़साना

02.02.2021

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्वेता राठौड स्वयं उपस्थित नहीं है एवं अप्रार्थी कीं ओर से श्री कमल किशोर, कनिष्ठ सहायक उपस्थित हुए और जवाब पेश किया, जो शामिल मिसल किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), घड़साना से सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र दिनांक 17.11.2020 से बारह बिन्दुओ की सूचना चाही थी जो अपीलार्थी को निशचित समय सीमा में प्राप्त नही हुई है। इसलिए अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), घड़साना को दण्डित करने एवं बिन्दुवार सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्वेता राठौड़ ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 17.11.2020 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न सूचना चाही थी :

1. श्रीमान्जी कार्यालय तहसीलदार (राजस्व), घडसाना के कर्मचारी अधिकारी के हाजरी रजिस्टर सितम्बर 2020 की प्रमाणित फोटो प्रति प्रदान करें।
2. श्रीमान्जी लिखित सूचना प्रदान करें दिनांक 14.09.2020 से आज दिनांक 17.09.2020 तक कार्यालय का वाहन संख्या आरजे 13 यूए 3978 को किस (वाहन चालक) द्वारा चलाया जा रहा है। उक्त वाहन चालक का नाम, पदनाम, एवं शैक्षिक योग्यता की प्रमाणित फोटो प्रदान करें
3. श्रीमानजी का वाहन संख्या आरजे 13 यूए 3978 की एच.एस.डी. सप्लाई हेतु लेगा फिलिंग स्टेशन घड़साना को

आप द्वारा इनडेक्ट क्र.स. 01786 दिनांक 14.09.2020 की प्रमाणित प्रति प्रदान करें।

4. श्रीमानजी लेगा फिलींग स्टेशन घड़साना का क्र.सं. 25182 दिनांक 14.09.2020 की फुटेज की प्रमाणित फोटो प्रदान करें।
5. श्रीमान जी लेगा फिलींग स्टेशन घड़साना की दिनांक 11.09.2020 एवं दिनांक 14.09.2020 की फुटेज की प्रमाणित फोटो प्रदान करें।
6. श्रीमानजी कार्यालय की वाहन संख्या आरजे13 यूए 3978 की लोग बुक दिनांक 01.07.2019 से 17.09.2020 तक की प्रमाणि फोटो प्रति प्रदान करें।
7. श्रीमान्जी कार्यालय की वाहन संख्या आरजे 13 यूए 3978 की एच.एस.डी. सप्लाई के इंडेक्ट दिनांक 01.07.2019 से दिनांक 17.09.2020 तक के प्रमाणित फोटो प्रति प्रदान करें।
8. श्रीमान्जी कार्यालय तहसीलदार (राजस्व), घड़साना क्षेत्र के 11 एआरएम की जरीब द्वारा सीमा ज्ञान के लिए जारी किये गये कार्यालय आदेश की प्रमाणित फोटो प्रदान करें। फर्द मौका की फोटो प्रमाणित प्रति प्रदान करें।
9. श्रीमान्जी कार्यालय तहसीलदार (राजस्व), घड़साना क्षेत्र के 11 एआरएम में किया गया सीमा ज्ञान की फर्द मौका की फोटो प्रमाणित प्रति प्रदान करें।

10एवं 11 श्रीमानजी कार्यालय तहसीलदार (राजस्व), घड़साना के श्री विनोदजी पूनीया, श्री रविराजजी गढावलजी,ओमजी पटवारी, श्री दीपक पटवारी एवं श्री चुन्नीलाल जमादार आदि

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

की दिनांक 11.09.2020 की डायरी की फोटो प्रमाणित प्रति प्रदान करें।

12. श्रीमानजी कार्यालय तहसीलदार (राजस्व), घड़साना में श्री मदनसिंह राठौड की दिनांक 11.09.2020 की प्रति नियुक्ति निरस्त कि श्री मदन सिंह राठौड द्वारा प्राप्ति आदेश की प्रमाणित फोटो प्रति प्रदान करें।

तहसीलदार (राजस्व), घडसाना ने अपने पत्रांक विविध/सू.का.आ. / 2020/907 दिनांक 21.12.2020 से प्रार्थी को निम्नानुसार सूचना उपलब्ध करवाई है:

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत चाही गई सूचना के संदर्भ में लेख है कि बिन्दु संख्या 1 से 9, 12 में चाही गई सूचना से संबंधित दस्तावेजों की कुल पृष्ठ 315 है जो कि निर्धारित शुल्क 2/— रूपये प्रति पृष्ठ शुल्क नियमानुसार जमा करवाया जाना अपेक्षित है। आप द्वारा बिन्दु संख्या 10, 11 से संबधित कार्मिकों की दैनिक डायरी की दिनांक 11.09.2020 की प्रतिलिपि चाही गई है। जिसके संदर्भ में लेख है कि कार्मिकों की दैनिक डायरी की निर्धारित प्रतिलिपि शुल्क 20/— रूपये प्रतिदिन अनुसार शुल्क नियमानुसार जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अतः लेख है कि उपरोक्तानुसार निर्धारित शुल्क नियमानुसार जमा करवायें ताकि संबंधित दस्तावेज की प्रतिलिपि आपकों उपलब्ध करवाई जा सके।

तहसीलदार (राजस्व)
घड़साना

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 17.11.2020 के सम्बन्ध तहसीलदार, घडसाना द्वारा दिनांक 21.12.2021 से उनके पास उपलब्ध अभिलेख की सूचना नियमानुसार राशि राजकोष में जमा करवाकर प्राप्त करने हेतु सूचित किया जा चुका है किन्तु अपीलार्थी ने अभी तक राशि राजकोष में जमा नहीं करवाई है। अतः प्रार्थी राशि जमा कर संबंधित दस्तावेज की प्रति प्राप्त कर सकता है।

अतः उक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। **आदेश की तहसीलदार (राजस्व), घड़साना** को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 02.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद वर्मा)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर